संख्या 8610-ग्रा० पं०

बिहार सरकार

योजना एवं विकास (ग्रामीण विकास) विभाग

पंचायतीराज निदेशालय

प्रेषक

श्री बृजनन्दन सिंहा,
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पो० डिनू, रांची

विस्कोमान भवन, पटना ।

पटना, दिनांक 25 अक्टूबर, 1975 ।

विषय —मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान के अस्थायी पदों का स्थायीकरण ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सरकार ने मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्था पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर तथा रांची को तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित अस्थायी पदों को दिनांक 1 अप्रील, 1974 से स्थायी घोषित करने की स्वीकृति दी है :—

राजपत्रित पदाधिकारी

पदनाम	संख्या	वेतनमान
(1) प्राचार्य	4	455-15-560-द० अ०-20-740-द० अ०-25-840
अराजपत्रित पदाधिकारी		
(1) निम्नवर्गीय लिपिक	4	220-4-240-द० अ०-5-290-द० अ०-5-315+20 प्रतिशत विशेष वेतन ।
(2) कार्यालय चपरासी	4	155-1-160-2-190+20 प्रतिशत विशेष वेतन ।
(3) आदेशपाल	4	155-1-160-2-190+20 प्रतिशत विशेष वेतन ।

इस व्यय का वहन "314--सामुदायिक विकास-क-सामान्य प्रशिक्षण कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय" शीर्षक के अन्तर्गत होगा ।

विश्वासभाजन,
बृजनन्दन सिंहा,
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव ।

ज्ञाप संख्या 8610-ग्राम पं०

पटना, दिनांक 25 अक्टूबर, 1975 ।

प्रतिलिपि कार्मिक विभाग / वित्त विभाग / सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्था / सभी उप-निदेशक पंचायती राज / सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी / प्राचार्य, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, रांची तथा प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण संस्था, जसीडीह/सभी स्थापना सहायकों (मुख्यालय) को सूचना एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित ।

बृजनन्दन सिंहा,
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव ।